न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 54/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. केहरसिंह पुत्र श्री रंगासिह जाति सिक्ख निवासी बड़ोदामेव तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... वादी/ अपीलांट

बनाम

1. जागीरसिंह पुत्र श्री केहरसिंह जाति सिक्ख ।
2. लखबीरसिंह पुत्र श्री केहरसिंह जाति सिक्ख ।
3. अमरजीतसिंह पुत्र श्री केहरसिंह जाति सिक्ख ।
4. श्रीमती प्यारा कौर पुत्री श्री केहरसिंह जाति सिक्ख निवासी बड़ोदा मेव तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाख बड़ोदामेव जर्ये शाखा प्रबन्धक ।
6. उप पंजीयक गोविन्दगढ़ जिला अलवर ।

..... प्रतिवादी/ रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री मुकेश कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.12.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक वु हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 1164 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 1165 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, 1166 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बड़ोदामेव तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है जो विवादित आराजी तारासिंह पुत्र भंवरसिंह की आराजी थी जिस आराजी को वादी ने खरीदा लेकिन बयनामा अपनी पत्नि स्वर्ण कौर पत्नि केहरीसिंह के नाम करा दिया गया था लेकिन स्वर्णकौर का देहान्त हो गया जिसका नामान्तकरण वादी एवं प्रतिवादीगण के हक में

19.12.17

दर्ज हो गया जबकि पूरा नामान्तकरण वादी के हक में दर्ज होना चाहिए था । विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है । प्रतिवादीगण का व अन्य स्वर्णकौर के वारिशों का कोई संबंध नहीं है । प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलकर विवादित आराजी का 4/9 भाग का इन्द्राज अपने हक में करा लिया गया है जो गलत है जिस इन्द्राज का वांदी को इल्म होने पर सालिम आराजी को वादी के नाम करवाने के लिए प्रतिवादीगण से कहा गया जिन्होंने पहले तो हां की बाद में इन्कार कर दिया जिस पर वादी द्वारा वाद पेश कर उक्त सालिम आराजी पर खातेदार घोषित करने व प्रतिवादीगण को शांतिमय कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत या रहन, बय आदि नहीं करने के संबंध में पाबन्द करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया लेकिन प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थि नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व लोक अदालत बड़ोदामेव में दि0 18.6.2015 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 18.6.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं आये । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वादी/अपीलांट ने दि0 22.4.1965 को जर्ये बयनामा अपनी पत्नि के हक में क्रय की तथा विवादित आराजी पर वक्त खरीद से वादी/अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं जो ऋण पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त किया था उसकी अदायगी भी समय-समय पर अपीलांट द्वारा की जाती रही है । उक्त श्रीमती स्वर्णकौर के स्वर्गवास होने के बाद उसका इन्तकाल विरासत गलत तौर पर अपीलांट व उसके सभी पुत्र एवं पुत्रियों के नाम गलत तौर पर दर्ज व तस्दीक किया गया है जिसकी जानकारी होने पर मृतक श्रीमती स्वर्णकौर के अन्य वारिसान ने यह मानते हुए कि विवादित आराजी अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है, अपीलांट के हक में हकत्याग पत्र निष्पादन व पंजीयन करा दिया किन्तु विवादित आराजी के 4/9 हिस्से की बाबत कागजात माल में प्रतिवादी/रेस्पो0 के नाम का इन्द्राज कतई गलत व खिलाफ कानून व खिलाफ मौका व कब्जा है । रेस्पो0 सं0 1 ल0 4 से जिनका विवादित आराजी में हिस्सा होना दर्ज किया गया है वो वक्त खरीद बयनामा दि0 22.4.65 को पैदा ही नहीं हुए थे और वे पैदा ही नहीं हुए थे तो कानूनन उनका कोई हक व हिस्सा विवादित आराजी में नहीं है । प्रतिवादी/रेस्पो0 का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा और ना उनका कोई हक व हिस्सा है । अब वे बिना किसी हक व अधिकार के विवादित आराजी को अन्य लोगों को रहन, बय या दान आदि के जर्ये मुन्तकिल करने की जुस्तजू में है और यदि उन्होंने विवादित आराजी का बेचान कर दिया तो अपीलांट को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

बहस में आगे कहा कि अपीलांट विवादित आराजी पर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा कसे भी पाबन्द कराना चाहते हैं क्योंकि अपीलांट का मौके पर कब्जा है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया । बहस में आगे कहा कि यदि मेरा दावा घोषणा का

19.12.17

डिक्री नहीं किया गया तो भी मुझे विभाजन करके स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जानी चाहिए ।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.6.2015 का अवलोकन किया । वादी/अपीलांट विवादित आराजी के रेकार्डेड सह खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है । विवादित आराजी को वादी/अपीलांट अपने द्वारा खरीद व कब्जा काश्त होना अवगत करा रहे हैं तथा उन्हें साबिक रेकार्ड व साक्ष्य पेश करने तथा खुद के हिस्से की आराजी में दखलंदाजी नहीं करने बाबत प्रार्थना की है तथा उसका अवसर भी चाहा है ।

अधीनस्थ न्याययालय ने इन बिन्दुओं पर वादी/अपीलांट को मौका नहीं दिया तथा खुद के कब्जे काश्त व सह खातेदारी की आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में कोई अनुतोष नहीं दिया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री संशोधन योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ का निर्णय व डिक्री दि0 18.6.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादी/अपीलांट की सह खातेदारी/कब्जे की आराजी बाबत तथा विभाजन के अनुतोष के संबंध में यदि अपीलांट अनुतोष चाहते हैं तो उस पर गौर करते हुए करके स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष जारी करने पर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.12.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर